कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल कटनी (म.प्र.)

TELEPHONE (O) 07622- 227417 (FAX) 07622-220700 PIN 483501, E-mail- dfotkatn@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./5998 कटनी दिनांक 25/10/2021

प्रति,

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग,
मण्डला (म0प्र0)

विषय : जिला मंडला के अंतर्गत गौर जलाशय योजना के निर्माण हेतु 20.22 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र पृ0क्रमांक/ एफ–3/ 85/ 2018/ 10–11/9/2923 दिनांक 02.09.2021 (आपको पृष्ठांकित) एवं वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम(सा.) मण्डला का पत्र क्रमांक/मा0चि0/2021/2269 दिनांक 07.09.2021 एवं मुख्य वन संरक्षक, मध्य वन वृत्त, जबलपुर का तकनीकी स्वीकृति आदेश क्र./ स्था0/ 258 दिनांक 05.11.2018 भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक F.No. 6-MPC 013/2019-BHO दिनांक 30.08.2021।

उपरोक्त विषयान्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्ताव जिला मंडला के अंतर्गत गौर जलाशय योजना के निर्माण हेतु 20.22 हेक्टेयर वनभूमि के बदले जिला/वनमण्डल कटनी, तहसील/परिक्षेत्र बहोरीबंद अंतर्गत राजस्व वनभूमि ग्राम सलैया कला, खसरा नंबर 05 रकवा 19.00 हे0 नोईयत "छोटे झाड़ का जंगल" एवं खसरा नंबर 20 रकवा 21.44 हे0 नोईयत "बड़े झाड़ का जंगल" राजस्व वनभूमि कुल रकवा 40.44 हेक्टेयर क्षेत्र में 10 वर्षीय वृक्षारोपण योजना राशि रूपये 1,41,66,227.00 (एक करोड़ इकतालीस लाख छियासठ हजार दो सौ सत्ताइस रूपये) इस कार्यालय से तैयार करने के उपरांत मुख्य वन संरक्षक, मध्य वन वृत्त, जबलपुर द्वारा अपने आदेश क्र./स्था0/258 दिनांक 05.11.2018 से तकनीकी आदेश जारी किया गया था। (तकनीकी स्वीकृति की छायाप्रति संलग्न है) उक्त परियोजना में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भोपाल द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदाँय की गई है। उक्त सैद्वांतिक स्वीकृति के शर्त क्रमांक A(1) एवं (5) से वृक्षारोपण योजना की राशि कैम्पा फंड में ई–पोर्टल के माध्यम से भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आप भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में 10 वर्षीय वृक्षारोपण योजना राशि रूपये **1,41,66,227.00 (एक करोड़ इकतालीस लाख छियासठ हजार दो सौ सत्ताइस** रूपये) कैम्पा फंड में ई–पोर्टल के माध्यम में भुगतान कर जमा रसीद की छायाप्रति इस कार्यालय में उपलब्ध करावें।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल के संदर्भित पत्र के शर्त क्रमांक A(2) एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल के संदर्भित पत्र से प्राप्त निर्देशों के पालन में वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर राजस्व वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख) भोपाल के पत्र क्रमांक/अधि0कक्ष/475 दिनांक 03.05.2021 (छायाप्रति संलग्न है।) से निर्धारित प्रारूप एवं चैकलिस्ट अनुसार निम्नानुसार प्रमाणपत्र सक्षम राजस्व अधिकारी से तैयार कराने हेतु आपके अधीनस्थ सक्षम अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि के संरक्षित वन घोषित किये जाने के अधिसूचना प्रारूप इस कार्यालय से तैयार किया जाकर शासन की ओर प्रेषित किये जा सकें।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
आवक क्र. 3253
दिनांक 25-10-2021

पृष्ठ क्रमांक– 1

1. **<u>बिन्दु कमांक 1</u>** में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि के वैधानिक स्वरूप राजस्व भूमि अथवा निजी भूमि बावत् राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र,
2. **<u>बिन्दु कमांक 2</u>** में उक्त भूमि में छोटे बड़े झाड़ के जंगल की भूमि सम्मिलित होने/नहीं होने बावत् राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र ,
3. **<u>बिन्दु कमांक 4</u>** में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि पर व्यक्तियों एवं समुदायों के विद्यमान अधिकारों का सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा किये गये अभिलेखन का प्रतिवेदन।
4. **<u>बिन्दु कमांक 5</u>** में उक्त भूमि का अतिक्रमण मुक्त होने बावत् सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण–पत्र
5. **<u>बिन्दु कमांक 6</u>** में उक्त भूमि का राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा वन अधिकारी की उपस्थिति में किया गया सीमांकन का प्रतिवेदन/रिपोर्ट।
6. **<u>बिन्दु कमांक 7</u>** में उक्त भूमि के पटवारी मानचित्र एवं खसरा खतौनी की सत्यापित प्रतियां।
7. **<u>बिन्दु कमांक 8</u>** में उक्त भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने (आधिपत्य सौंपने) का प्रमाण पत्र।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

25/10/21

(आर.सी.विश्वकर्मा)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमंडल कटनी

पृष्ठांकन क्रमांक/मानचित्रकार/5999
कटनी दिनांक 25/10/2021

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कक्ष–भू प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आपके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पदेन वन संरक्षक, मध्य वृत्त जबलपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, पश्चिम मण्डला की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. उपवनमण्डलाधिकारी पश्चिम कटनी एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी बहोरीबंद की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन घोषित किये जाने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख) भोपाल के पत्र क्रमांक/अधि0कक्ष/475 दिनांक 03.05.2021 (छायाप्रति संलग्न है।) से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में धारा 29 के अधिसूचना प्रारूप तैयार करने हेतु निर्धारित चैकलिस्ट अनुसार संलग्न प्रमाणपत्रों में सक्षम राजस्व अधिकारी से हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित कराकर इस कार्यालय में उपलब्ध करावें, ताकि अधिसूचना प्रारूप तैयार कर शासन की ओर प्रेषित किये जा सकें। **संलग्नः– उपरोक्तानुसार**
5. शाखा प्रभारी, व्यय आंकिक शाखा, सामान्य वनमण्डल कटनी की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमंडल कटनी

(5)

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, पश्चिम (सा.) वनमण्डल मण्डला

Mail Address :->dfotwmand@mp.gov.in, Fax/Phone :-> 07642-251014

क्रमांक/मा0चि0/2021 /2288 मण्डला, दिनाँक 9/09/2021

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, मण्डला
जिला–मण्डला (म0प्र0)

विषयः– जिला मण्डला के अंतर्गत गौर जलाशय योजना के निर्माण हेतु 20.22 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भः– 1–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्र0/6-MPC 013/2019-BHO दिनांक 30.08.2021.
2–अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र क्र0/2923 दिनांक 05.09.2021.

विषयांकित उपरोक्त संदर्भित पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के संदर्भित पत्र से जिला मण्डला के अंतर्गत गौर जलाशय योजना के निर्माण हेतु 20.22 हेक्टेयर वनभूमि कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मण्डला को उपयोग पर देने के संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है।

तद्संबंध में संदर्भित पत्रांक–01 के बिन्दु क्रमांक–ए (3) एवं बिन्दु क्रमांक–ए (4) के अनुपालन में निम्नानुसार राशि ऑन–लाईन पोर्टल https://parivesh.nic.in के माध्यम से एड–हॉक कैम्पा फण्ड में जमा कर U.T.R. नम्बर/दिनांक सहित जनरेट चालान की प्रतिहस्ताक्षरित तीन प्रतियॉं इस कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजने का कष्ट करें।

151.89 Mandla
141.66 Katni
293.55

क्र0	विवरण	राशि (रूपये)
1	गौर जलाशय अंतर्गत प्रस्तावित वनभूमि 20.22 हेक्टेयर के विरूद्ध N.P.V. की राशि	1,26,57,720 /-
2	भारत सरकार की गाईड लाईन के पैरा 1.21 (ii) b के अनुसार दाण्डिक एन0पी0व्ही0 की राशि	25,31,544 /-
	कुल योग –	**1,51,89,264 /-**

(राशि शब्दो में–एक करोड इनक्यावन लाख नवासी हजार दो सौ चौसठ रूपये मात्र)

संलग्नः– उपरोक्तानुसार छायाप्रति।

कार्यालय- कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
आवक क्र. 2706 /SAE
दिनांक 10/9/2021

(कमल अरोरा) भा0व0से0
वनमण्डलाधिकारी
पश्चिम (सा.) वनमण्डल, मण्डला

पृष्ठा0 क्र0/मा0चि0/2021/2289 मण्डला, दिनाँक 9/09/2021

प्रतिलिपि :–

1–अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल की ओर उनके संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2–अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक मध्य वनवृत्त जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

SAE
10/9

वनमण्डलाधिकारी
पश्चिम (सा.) वनमण्डल, मण्डला

(2)

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, पश्चिम (सा.) वनमण्डल मण्डला

Mail Address :->dfotwmand@mp.gov.in, Fax/Phone :-> 07642-251014

क्रमांक / मा0चि0 / 2021 / 3162　　　　　　　　　　मण्डला, दिनाँक 10 / 11 / 2021

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, मण्डला
जिला–मण्डला (म0प्र0)

विषयः– जिला मण्डला के अंतर्गत गौर जलाशय योजना के निर्माण हेतु 20.22 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भः– 1–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्र0 / 6-MPC 013/2019-BHO दिनांक 30.08.2021.
2–अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र क्र0 / 2923 दिनांक 02.09.2021 एवं 3584 दिनांक 28.10.2021.
3–कार्यालयीन पत्र क्र0 / मा0चि0 / 2021 / 2288 दिनांक 09.09.2021.

उपरोक्त विषयांतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गौर जलाशय योजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित रकबा 20.22 हेक्टेयर के व्यपवर्तन प्रकरण पर अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के संदर्भित पत्र क्र0 / 2923 दिनांक 05.09.2021 के अनुक्रम में प्रकरण अंतर्गत दाण्डिक एन0पी0व्ही0 25,31,544 /– रूपये के मांग–पत्र कार्यालयीन पत्र क्र0 / मा0चि0 / 2021 / 2288 दिनांक 09.09.2021 से जारी की गई थी।

तद्संबंध अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के संदर्भित पत्र क्र0 / 3584 दिनांक 28.10.2021 (छायाप्रति संलग्न है) में दिये गये निर्देशानुसार उक्त दाण्डिक NPV की राशि में संशोधन किया जाकर अब निम्नानुसार दाण्डिक NPV की राशि एड–हॉक कैम्पा में जमा कराने का कष्ट करें।

क्र0	विवरण	राशि (रूपये)
2	भारत सरकार की गाईड लाईन के पैरा 1.21 (ii) b के अनुसार दाण्डिक NPV की राशि (संशोधित)	6,25,626 /-

(राशि शब्दो में–छः लाख पच्चीस हजार छः सौ छब्बीस रूपये मात्र)

गौर जलाशय अंतर्गत प्रस्तावित वनभूमि रकबा 20.22 हेक्टेयर के विरूद्ध NPV की राशि कार्यालयीन संदर्भित पत्र / मा0चि0 / 2021 / 2288 दिनांक 09.09.2021 के अनुसार यथावत् जमा करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार छायाप्रति।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन सम्भाग
आवक क्र. 3424/SAE
दिनांक 11.11.2021

SAE
11/11
11.11.21

(कमल अरोरा) भा0व0से0
वनमण्डलाधिकारी
पश्चिम (सा.) वनमण्डल, मण्डला

पृष्ठा0 क्र0 / मा0चि0 / 2021 / 3163　　　　　　　　मण्डला, दिनाँक 10 / 11 / 2021

प्रतिलिपि :–

1–अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल की ओर उनके संदर्भित पत्र क्र0 / 3584 दिनांक 28.10.2021 के अनुक्रम में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2–अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक मध्य वनवृत्त जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
पश्चिम (सा.) वनमण्डल, मण्डला